झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–04.09.2023 एवं दिनांक–05.09.2023 को रामगढ़ एवं हजारीबाग जिले से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. **रामगढ़ जिला में दिनांक–04.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक सुनवाई एवं जनसुनवाई तथा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।**

- दिनांक–04.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक रामगढ़ जिला के परिसदन भवन में सुनवाई एवं जनसुनवाई तथा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त रामगढ़ जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, आदि उपस्थित रहे।
- जनसुनवाई के दौरान 01 डीलर द्वारा अपनी वाहवाही के लिये कुछ लाभुकों को भेजा गया। अध्यक्ष द्वारा ऐसे डीलरों की पहचान करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कहा गया।
- जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्रीमती सबुजन निशा द्वारा बताया गया कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाया है। यह भी कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कहा गया। बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा कर देने के पश्चात् रिक्ति होने पर नाम जोड़ दिया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उक्त से सम्बन्धित प्रक्रियाओं की जानकारी शिकायतकर्ता को देने का निर्देश दिया गया।
- जनसुनवाई के पश्चात् समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग में दर्ज जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित लंबित शिकायतों की प्रति पुनः जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
- अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत पर अधिकारियों द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है, तो उनके शिकायत के स्टेटस/स्थिति से शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जाए।

2. रामगढ़ जिला में दिनांक–04.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–04.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक रामगढ़ जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 125 में से 41 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अतिरिक्त रामगढ़ जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् अपने–अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

3. रामगढ़ जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- संवाद कार्यक्रम के दौरन एक मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया 1–2 वर्ष से BSO/DSO स्तर पर लंबित है, जबकि ऑनलाइन आवेदन किया गया है। एक व्यक्ति ने पिछले माह राशन का उठाव किया एवं इस माह उस व्यक्ति का नाम कार्ड से कट गया। किन्हीं–किन्हीं का स्वतः राशन कार्ड डिलिट हो जा रहा है। मुखिया द्वारा बताया गया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते इन समस्याओं का निष्पादन मुखिया नहीं कर पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वैकेंसी नहीं होने के कारण कार्ड नहीं बन पा रहा है। मुखिया से अनुरोध किया गया कि जब तक गैर जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड डिलिट नहीं किया जायेगा, तब तक जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पायेगा। मुखिया को लगता है कि जिले में वैकेंसी है, तो आयोग में शिकायत दर्ज करें। यदि जानबूझ कर कार्ड में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है,

तो इसकी शिकायत आयोग को करें, आयोग जाँच–पड़ताल करेगा एवं यदि जानबूझ कर विलंब किया जा रहा है, तो आयोग कार्रवाई करेगा।

- मुखिया, पंचायत–रकुवा, प्रखण्ड–गोला द्वारा बताया गया कि विद्यालय का निरीक्षण करते समय कुछ कमी पाये जाने पर मुखिया से कहा जाता है कि 07 माह से पैसा नहीं मिला है, किसी तरह वे विद्यालय चला रहे हैं एवं वही बातें आंगनबाड़ी केन्द्र में भी कहा जाता है। मुखिया द्वारा कहा गया कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष से जरूरतमंद लाभुक को 10 कि0ग्रा0 दिये जाने वाला राशन प्रत्येक माह देना है या एक ही बार दे कर छोड़ देना है ? डीलरों द्वारा कहा जाता है कि उन्हें जिले से राशन कम मिला है। ई–पॉस से निकलने वाला पर्ची डीलर द्वारा नहीं दिया जाता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि मशीन खराब है। डीलर द्वारा यह भी कहा जाता है कि उन्हें राशन वजन करके नहीं मिला या बोरा फटा हुआ है, तो वे कैसे पूरा राशन दे सकते हैं। मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि अनाज वितरण के समय प्रत्येक माह डीलर के साथ बैठक किया जा सकता है कि लाभुक को सही अनाज मिल रहा है या नहीं। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुखिया उन सभी बातों की लिखित रूप में आयोग को शिकायत दर्ज करें, ताकि आयोग कार्रवाई कर पाए। यदि कोई भी डीलर यह तर्क देता है कि उन्हें पीछे से अनाज कम मिल रहा है, उस डीलर से कहें कि जब उन्हें अनाज कम मिल रहा है, तो वे कम क्यों ले रहे हैं ? मुखिया डीलर से कहें कि यदि कोई अधिकारी घूस लेकर उन्हें कम अनाज दे रहा है, तो उस अधिकारी का नाम बताएँ, आयोग कार्रवाई करेगा। जब तक आप डीलर के तर्क को स्वीकार करते रहेंगे, तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। आयोग उक्त के संबंध में विभाग से पत्राचार करेगा। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुखिया को जो अधिकार मिले हैं, वे उसका इस्तेमाल करें।
- एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि सी0सी0एल0 क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था अच्छी है, मिट्टी तेल का उपयोग उस क्षेत्र में होता ही नहीं है। मिट्टी तेल नहीं लेने पर डीलर द्वारा 50.00 रू0 का कमीशन मांगा जाता है, डीलर द्वारा कहा जाता है कि 50.00 रू0 मिलेगा तभी वो राशन देंगे। डीलर द्वारा जबरदस्ती तेल लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत मिट्टी तेल नहीं आता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लाभुक से 50.00 रू0 कमीशन लिया जाए। आयोग के अध्यक्ष द्वारा मुखिया से इस आशय की लिखित जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को देने हेतु कहा गया।
- संवाद कार्यक्रम के दौरान मुखिया द्वारा बताया गया कि वे नगर परिषद वार्ड–19, गांव–हेहल से आते हैं। बताया गया कि उनके क्षेत्र में 02 डीलर हैं, एवं एक डीलर के पास राशन कार्ड की

संख्या लगभग 600 है। जब भी किसी को राशन लेना होता है, तो उस व्यक्ति को 08–10 दिन परेशान होना पड़ता है। प्रतिदिन सुबह 05.00 बजे कार्डधारियों का लाईन लग जाता है। इस प्रकार की समस्या मुखिया के पास आती रहती है। मुखिया द्वारा आग्रह किया गया कि उनके क्षेत्र में डीलर का कोटा बढ़ाया जाए। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिया गया। आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वर्तमान में सरकार द्वारा नये डीलर की अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर रोक लगाई गई है। निलंबित हुए डीलर के उपभोक्ता को आस–पास के डीलर के साथ टैग कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि उस डीलर के पास भीड़ बढ़ जाएगी एवं दिक्कतें आएंगी। यह नीतिगत विषय है एवं आयोग नीतिगत मामले में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। चूंकि यह समस्या पूरे राज्य भर में है। इस संदर्भ में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आयोग द्वारा पूर्व में विभाग से पत्राचार किया गया है। पुनः आयोग द्वारा विभाग को स्मार दिया जाएगा कि इन समस्याओं का जल्दी निदान किया जाए।

- श्रीमती किरण देवी, मुखिया, पंचायत–साड़म, प्रखण्ड–गोला द्वारा बताया गया कि जयन्तीबेड़ा टोला, साड़म गांव से 15–20 कि0मी0 दूर है एवं चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। जयन्तीबेड़ा टोला के लाभुकों को राशन लेने साड़म गांव जाना पड़ता है। मुखिया द्वारा आग्रह किया गया कि यदि कोई प्रावधान है तो डीलर जयन्तीबेड़ा टोला जा कर राशन का वितरण करें या वहाँ के लाभुकों को वहीं किसी डीलर के साथ टैग कर दिया जाए। मुखिया द्वारा इस सम्बन्ध में पणन पदाधिकारी को लिखित रूप में आवेदन दिया गया है। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि जो लाभुक अपना डीलर परिवर्तित करना चाहते हैं, वे सम्बन्धित डीलर के नाम से प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यह गंभीर विषय है, इसे तत्काल किया जाए। भारत सरकार ने एक नई योजना लाई है कि यदि लाभुक का आधार राशन कार्ड से लिंक है, तो वे ONORC के तहत् देश के किसी भी कोने में किसी भी डीलर से राशन ले सकतें है। सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया।
- एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी मुखियागण को नहीं है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वैसे लोग जो भूखमरी के कगार पर हैं या उनके समक्ष भोजन का संकट है, तो ऐसे लोगों को जब तक राशन कार्ड नहीं बन जाता है, उन्हें तब तक बाजार दर से आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन देने का प्रावधान है। ऐसे लोगों का राशन कार्ड बनाने हेतु अधिकारियों को लिखें कि सम्बन्धित व्यक्ति के समक्ष अनाज का संकट है, यदि उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो पुनः आकस्मिक खाद्यान्न कोष से अनाज उपलब्ध कराना पड़ेगा। यदि

राशन कार्ड नहीं बन पाता है, तो मुखिया उन्हें दोबारा भी अनाज उपलब्ध करा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मौत अन्न के अभाव में नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत को 10000.00 रू0 उपलब्ध कराया जाता है। राशि खत्म होने पर पुनः राशि उपलब्ध कराया जाता है।

- श्री विलय मुण्डा, मुखिया, पंचायत–बलकुदरा, प्रखण्ड–पतरातु द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जो चावल का वितरण हो रहा है, उसमें सफेद–सफेद मिलावट है एवं मुखिया द्वारा इसका सैंपल भी लाया गया। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भारत सरकार का निर्णय है एवं यह हर राज्य में लागू है कि लोगों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिये एक बोरा चावल में 100 ग्राम फोर्टिफाईड चावल मिलाया जाता है, ताकि लोगों को पोषण मिल सके। इस प्रकार की शिकायतें कई जिलों से आ रही है एवं इसकी वजह यह है कि इस सम्बन्ध में जिस स्तर से प्रचार–प्रसार होना चाहिए था, लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए थी, उस स्तर तक नहीं हुआ है। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार करने का निर्देश दिया गया।
- मुखिया द्वारा यह भी बताया गया कि डीलर के पास अनाज आता है, तो इसकी सूचना सभी लाभुकों को हो जानी चाहिए, डीलर द्वारा सीमित समय निर्धारित कर दिया गया है कि इतने तारीख तक लाभुक को अंगूठा लगा देना है। निर्धारित तारीख तक यदि लाभुक अंगूठा नहीं लगाते हैं, तो उन्हें चावल नहीं दिया जाता है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यदि ऐसा है, तो इसकी शिकायत करें। मुखिया अपने पंचायत के लोगों से कहें कि यदि कोई शिकायत हो, तो प्रमाण के साथ आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें। आयोग द्वारा इसका निदान किया जाएगा। मुखिया को दिये गये किट में आयोग का वाट्सएप्प नं0 है। मुखिया द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष–2013 में जब राशन कार्ड बना था, तो इसमें कई लोगों का नाम छूट गया। कई ऐसे लोग हैं, जिनके राशन कार्ड में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि वैकेंसी नहीं होने के कारण नाम नहीं जुड़ रहा है। इसकी शिकायत लिखित रूप में कराएँ, ताकि आयोग जाँच कराते हुए सम्बन्धित लाभुकों को इससे अवगत करा सके।
- एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि राशन डीलर द्वारा राशन पूरे माह वितरित नहीं किया जाता है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि प्रमाण के साथ वे लिख कर आयोग में शिकायत दर्ज करें।
- एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाने के कारण उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र में महिलाओं एवं बच्चों के लिये पोषाहार का वितरण किया गया है या नहीं? सेविका द्वारा पहले मुखिया से approval लेकर वॉउचर प्रखण्ड में जमा कर देते थे, किन्तु वर्तमान

में यह बन्द है। मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में जो भी किट/सामग्री/पोषाहार आ रहा है, उसकी जानकारी सभी मुखिया को मिले। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

- एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि वैकेंसी नहीं होने के कारण नाम नहीं जुड़ पा रहा है, किन्तु जिनका नाम डिलिट करना है, यह भी कार्य नहीं हो रहा है एवं डीलर परिवर्तित करने से सम्बन्धित कार्य भी नहीं हो रहा है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यह एक गंभीर विषय है, जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कहा गया कि नाम डिलिट करने में तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नाम डिलिट होगा, तभी तो रिक्ति आएगी। इस पर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया।
- मुखिया द्वारा यह आग्रह किया गया कि सभी अधिकारियों का वाट्सएप्प ग्रुप बनाया जाए, एवं उस ग्रुप में मुखिया को भी जोड़ा जाए। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अधिकारियों को कार्य करने की आजादी दी जानी चाहिए। मुखिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुखियागण को सभी अधिकारियों द्वारा अपना नंबर उपलब्ध कराया गया है, किसी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत करें। उस पर निदान नहीं होने पर आयोग द्वारा अगली कड़ी पर विचार किया जाएगा। आयोग अधिकारियों की इस बात की प्रशंसा करता है कि अब तक आयोग ने जितने भी जिलों का भ्रमण किया है, रामगढ़ पहला जिला है, जहाँ के अधिकारियों ने अपना नंबर स्वतः सार्वजनिक किया है।

4. हजारीबाग जिला में दिनांक–05.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक सुनवाई एवं जनसुनवाई तथा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

- दिनांक–05.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक हजारीबाग जिला के परिसदन भवन में सुनवाई एवं जनसुनवाई तथा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त हजारीबाग जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, आदि उपस्थित रहे।
- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता, श्रीमती सुनीता देवी, बिरजूबाड़ा द्वारा राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद अब तक नाम नहीं जुड़ पाने की बात कही गई।

इस सम्बन्ध में आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि राशन कार्ड बनाना या नाम जोड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि वैकेंसी है या नहीं। कई बार अधिकारी चाह कर भी नया राशन कार्ड या राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं होती। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग इस बात की पड़ताल कर लेंगे। यदि संभव होगा, तो नाम जोड़ दिया जाएगा अन्यथा हरा राशन कार्ड में वैकेंसी है, उनका हरा राशन कार्ड बना दिया जाए। शिकायतकर्ता से पूछने पर बताया गया कि पहले उनका हरा राशन कार्ड था, बाद में PH राशन कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि लोगों की शिकायत है कि PH राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पा रहा है, ऐसे में उनका हरा राशन कार्ड बना दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें राशन मिलना शुरू हो जाए, बाद में फिर PH में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आवेदन की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग का कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता को हरा राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया।

- इसके अतिरिक्त जनसुनवाई के दौरान अन्य 08 शिकायतकर्ता द्वारा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाने एवं 02 शिकायतकर्ताओं द्वारा नया राशन कार्ड नहीं बन पाने से सम्बन्धित शिकायत की गई। सभी शिकायतकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदन की प्रति अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया।
- जनसुनवाई के पश्चात् समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग में दर्ज वाट्सएप्प एवं अन्य माध्यम से लंबित शिकायतों की प्रति अध्यक्ष द्वारा पुनः जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। ताकि शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा किये गये आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जा सके।
- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष दायर 78 शिकायतों को मिला कर कुल–141 शिकायतें दायर हुई थी, जिसमें से 140 शिकायतों को निष्पादित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आयोग को रिपोर्ट भेजा गया है, किन्तु Descripted रिपोर्ट नहीं जाता है। इस पर माननीय सदस्या द्वारा कहा गया कि वाट्सएप्प के माध्यम से प्राप्त जो शिकायतें लंबित है, उसका रिपोर्ट आयोग को अप्राप्त है। माननीय सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इन में शिकायतों को निष्पादित कर रिपोर्ट आयोग को भेजने हेतु निर्देश दिया गया।
- वाट्सएप्प के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में से लंबित मामले की सूची के क्रमांक–10 पर अंकित जिसमें ग्राम+पंचायत–डेबो, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग में जुलाई एवं अगस्त का राशन नहीं मिलने के मामले में पूछने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि

इसकी जाँच हो गई है। डीलर द्वारा 08 लोगों का अंगूठा लगवा कर उन्हें राशन नहीं दिया गया। उन्होंने नोटिस निर्गत किया है, दो नोटिस के बाद उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि सिर्फ नोटिस निर्गत करने या निलंबित कर देने से मामला नहीं बनेगा, इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें। यदि किसी लाभुक को राशन नहीं दिया गया एवं डीलर ने अपने पास रख लिया, जो सरकारी सम्पत्ति के गबन का भी मामला बनता है। इस पर एफ0आई0आर0 दर्ज करें एवं ऐसे लोगों के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराएँ। सिर्फ रिकवरी कर देने से या मुआवजा दे देने से डीलर को लगता है कि वे सवा गुणा मुआवजा दे देंगे। डीलर को भी लगना चाहिए कि सख्ती और भी कड़ा हो सकता है। ऐसे 1–2 लोगों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराएँ, आपराधिक मामले झेलेंगे, तो तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने का क्या परिणाम हो सकता है।

- इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से लंबित एक मामले की सूची जिसमें शिकायतकर्ता, श्री सुमित कुमार मेहता एवं अन्य, ग्राम–केवला द्वारा डीलर के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई थी, इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कहा गया कि शिकायतकर्ताओं को नियम–कायदे की जानकारी नहीं है। कई ऐसी चीजें होती हैं, जो वैधानिक तौर पर करना अधिकारियों के लिये संभव है और न आयोग के लिये। लेकिन शिकायतकर्ता इसलिये करते होंगे कि उन्हें जानकारी का अभाव है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा है कि शिकायतकर्ताओं को अवगत करा दें कि अमुक कारण से उनका काम नहीं हो सकता है एवं आयोग को भी अवगत करा दें। शिकायतकर्ता के आवेदन की स्थिति से उन्हें अवगत करा दें, ताकि कोई गलत भाव उनके मन में नहीं होगा। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि अन्य माध्यम से शिकायत की जो भी स्थिति हो, चाहे वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, इससे आयोग को अवगत करा दें, ताकि शिकायतकर्ता को अवगत कराया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। बताया गया कि उनके द्वारा 02–03 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है एवं सभी विद्यालयों में मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जाता है। इस पर अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अबतक उनके द्वारा जितने भी विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, कहीं भी बच्चो को मिलने वाला भोजन मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं पाया गया एवं हर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा यही कहा गया कि मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जाता है। जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि विभागीय

सचिव का निर्देश है एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से हर प्रखण्ड के विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाता है। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि लगभग विद्यालयों से शिकायत आती है कि समय पर कूकिंग कॉस्ट की राशि नहीं आती है एवं कूकिंग कॉस्ट की राशि से ही गैस भराना होता है या गैस सिलेंडर खरीदना होता है। यदि समय पर विद्यालय को कूकिंग कॉस्ट नहीं दे पा रहें हैं, तो हम उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वे गैस पर खाना बनायेंगे, जबकि लकड़ी पर खाना बनाना प्रतिबंधित है। जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि जैसे ही राज्य से राशि आती है, वैसे ही PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रखण्डों में तत्काल स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि समय पर विभाग से राशि नहीं आ रही है, राशि आने में दिक्कत आती है या नियमित अंतराल में राशि नहीं आती है, तो आयोग को इस आशय की सूचना दें। यदि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सूचना नहीं दी गई एवं आयोग जिले के किसी विद्यालय में गया एवं वहाँ लकड़ी पर खाना बनते पाया गया, तो आयोग उनके किसी तर्क को स्वीकार नहीं करेगा एवं उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई होगी। यदि जिला शिक्षा अधीक्षक आयोग को सूचित कर देंगे, तो आयोग विभाग से जवाब–तलब करेगा, फिर जिला शिक्षा अधीक्षक दोषमुक्त हो जायेंगे एवं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में आयोग को अवगत करा दिया जाएगा।

- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक की जो जिम्मेवारी है, इससे आयोग को अवगत करा दें कि किसी महिने में कूकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिली, इसमें दिक्क्त है एवं धन के अभाव में गैस के स्थान पर लकड़ी पर खाना बनाने को बाध्य हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कभी–कभी केन्द्र से ही राज्य को आवंटन प्राप्त नहीं होता है, तो इस स्थिति में विलंब होता है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हर व्यक्ति की अपनी सीमा की जानकारी होनी चाहिए, आयोग को भी अपनी सीमा की जानकारी है। आयोग के लिये अधिनियम है एवं परिधि तय है, जिला शिक्षा अधीक्षक जिले में हैं, उनकी परिधि केन्द्र नहीं है, बल्कि उनकी परिधि अधिकतम राज्य सरकार है। राज्य सरकार की परिधि केन्द्र सरकार है। आवंटन कैसे नहीं आ रहा है, यह जानना जिला शिक्षा अधीक्षक के लिये आवश्यक नहीं है। आवंटन नहीं आया, तो वे आयोग को सूचित करें। आयोग द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार से सम्बन्ध स्थापित किया जाएगा। आयोग जाँच–पड़ताल करेगा, कोई दिक्कत आती है, तो आयोग को सूचित करें।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि मुखिया संवाद के समय मेन्यू की प्रति सभी मुखियागण को उपलब्ध करायी जाए एवं जो मुखिया नहीं आयेंगे, उन्हें सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि

सभी मुखिया के पास मेन्यू रहे। उनके संज्ञान में रहे कि विद्यालयों में किस दिन क्या खाना पकता है, ताकि वे चाहें तो निरीक्षण कर इस बात की पड़ताल कर पाएँ कि आज मेन्यू क्या है एवं क्या पका है।

- समीक्षात्मक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अध्यक्ष द्वारा उपस्थित अन्य अधिकारियों के माध्यम से उन्हें मुखिया संवाद के दौरान MTC केन्द्रों की स्थिति आदि के विवरण के साथ मुखिया संवाद में उपस्थित रहने हेतु सूचित करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग से आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थिति पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि जिले में कुल–1770 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के बाहर सूचना पट्ट के संबंध में पूछने पर बताया गया कि केन्द्रों के बाहर मेन्यू का display लगा हुआ है एवं केन्द्र की सेविका एवं सहायिका का नाम एवं नंबर भी अंकित है, उनके द्वारा भौतिक तौर पर निरीक्षण भी किया गया है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र की अधिकतर शिकायतें आती हैं कि वे राशन उधार लाते हैं एवं सरकार के पास से पैसा आने के बाद वो देते हैं। इस पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवंटन आने में थोड़ा विलंब होता है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वे यथा–स्थिति से आयोग को अवगत करा दें, अन्यथा स्थल निरीक्षण के समय यदि आयोग द्वारा कोई कमी पाई जाएगी, तो आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि दोष जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अधिकारी वस्तु–स्थिति से अवगत कराते नहीं हैं एवं जब आयोग द्वारा विभाग को पत्र लिखा जाता है, तो विभाग कहता है कि जिले से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जून तक आवंटन आया था जो माह जून के लिये पर्याप्त था तथा सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका को राशि उपलब्ध करा दी गई थी। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि सेविका/सहायिका को कम राशि मिलता है, तो उनसे कैसे अपेक्षा की जाए कि 03 माह या 04 माह का राशन बकाया ले। इस आशय का पत्र आयोग को भेजें, ताकि आयोग सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर स्थिति में सुधार का प्रयास करे। अन्यथा NFSA की मूल भावना प्रभावित होगी एवं इसका असल लाभ लाभुकों तक पहुँच नहीं पाएगा। इस आशय का पत्र आयोग को भेज दें, कि कितने समय का भुगतान होता है, क्या स्थिति है, सेविका को वेतन मिलता है या नहीं, इससे सम्बन्धित रिपोर्ट बना कर आयोग को भेज दें। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव एवं निदेशक के साथ हाल ही में VC हुई थी, उस VC में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि आवंटन short हो गया है। अभी 02 माह का आवंटन आ गया है एवं प्रक्रिया की जा रही है। Absenty आने के बाद लोगों को अपडेट कर दिया

जाएगा। भारत सरकार से मात्र दिसम्बर तक ही मानदेय का आवंटन उनको भुगतान किया गया है। इस पर requisition भी भेजा गया है। राज्य सरकार को भी जानकारी है। राशि आते ही जितना जल्दी हो सके, भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। माह जुलाई एवं अगस्त का भी आवंटन आ गया है, उसके भुगतान की भी प्रक्रिया की जा रही है।

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से कहा गया कि जिस प्रकार वे सरकार को सूचित कर रहे हैं, उसी प्रकार आयोग को भी सूचित करें। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा जो डिमांड सरकार से की गई है, उसकी प्रति आयोग को भी देना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हर 03 माह में एक स्टेटस रिपोर्ट कि कब कितना बजट आया, कितनी राशि आई, कितना बकाया है, इससे सम्बन्धित रिपोर्ट आयोग को भी भेजें। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा एक संक्षिप्त विवरण आयोग को उपलब्ध कराया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहाँ तक कूकिंग कॉस्ट की बात है, आंगनबाड़ी केन्द्र में विभाग की ओर से गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। कूकिंग कॉस्ट पोषाहार की राशि से ही भुगतान की जा रही है। जिले में कटकमसांडी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 16 BPCL वाले गैस सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, उनका कहना है कि विभाग से ही उन्हें पैसा नहीं मिलता है। 32 आंगनबाड़ी केन्द्र में BPCL वाले ने गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की है। इस पर अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में रिपोर्ट भेजने हेतु कहा गया।

5. हजारीबाग जिला में दिनांक–05.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–05.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक हजारीबाग जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 260 में से 134 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अतिरिक्त हजारीबाग जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला

शिक्षा अधीक्षक, आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों NFSA के तहत् अपने–अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

6. हजारीबाग जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- संवाद कार्यक्रम के दौरान एक मुखिया द्वारा बताया गया कि हमलोग जांच कर सकते हैं, किन्तु कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कार्रवाई के लिये सम्बन्धित पदाधिकारियों को भेजना पड़ता है, क्योंकि कार्रवाई करना मुखिया के हाथ में नहीं है। सभी राशन डीलर, सभी विद्यालय एवं सभी आंगनबाड़ी की सेविका, खासकर ग्राम–पंचायत में जा कर देखें, तो अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा जिला में कोल्ड स्टोरेज बनवाने की बात कही गयी ताकि हरी सब्जियाँ आदि को सुरक्षित रहा जा सके। इसपर आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग की सीमा का जिक्र करते हुए मुखियागण से सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित विषयों पर संवाद हेतु अनुरोध किया गया क्योंकि मुखिया द्वारा उठाये गये समस्या पर आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि ई–पॉस से जो पर्ची निकलती है, उस पर्ची में कार्डधारियों द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा कर, उसे पणन पदाधिकारी को दिखाया जाए, तो डीलर चोरी नहीं कर पायेंगे। बार–बार यह शिकायत सामने आती है कि डीलर द्वारा ई–पॉस मशीन में एक ही रोल लगा कर बार–बार प्रिंट किया जाता है। डीलर का कहना है कि यह काफी महंगा होता है एवं हमलोग नहीं खरीद पाते हैं। मुखिया द्वारा आग्रह किया गया कि उन्हें कार्रवाई करने अथवा अनुशंसा करने का अधिकार दिया जाए। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आयोग के पास भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। सीमित अधिकार है। आयोग अनुशंसा कर सकता है, कार्रवाई बहुत सीमित मात्रा में कर सकता है, तो क्या हम इस सीमित मात्रा के अधिकार के कारण चुप बैठ जाएँ ? जो अधिकार मिला है, उसी अधिकार में हम किस तरह बेहतर कार्य कर सकते हैं। अधिकार के लिये Act में संशोधन हो, से पत्राचार करेंगे, राज्य सरकार सहमत होगा, अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि

यदि ऐसी स्थिति आती है कि आप अधिकारियों को अनुशंसा करते हैं, अनुशंसा उचित है एवं अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप आयोग को अवगत कराएँ। मुखिया के पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है, किन्तु आयोग के पास जो सीमित अधिकार है, उससे कार्रवाई किया जाएगा। एक बार आयोग को विश्वास में लेकर देखें एवं आयोग तक अपनी बात पहुँचायें।

- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि राशन की कटौती की बहुत ज्यादा शिकायतें आती रहती है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि 50 कि0ग्रा0 का जो एक बोरा है एवं प्रति व्यक्ति जो 05 कि0ग्रा0 राशन दिया जाता है, वो 05 कि0ग्रा0 का पैकेट में आए एवं प्रति व्यक्ति के अनुसार मिले। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि सुझाव अच्छा है एवं इस पर राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस पर विभागीय मंत्री से भी बात हुई है। मंत्री जी भी इस संदर्भ में विभाग में चर्चा कर रहे हैं, वे इस संदर्भ में निर्णय लेने की ओर बढ़ रहे हैं एवं इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। मुखिया द्वारा मांग की गई कि प्रत्येक प्रखण्ड में भण्डारण की व्यवस्था हो। ताकि उस प्रखण्ड के सभी पंचायतों को सुविधा हो। जो सक्षम व्यक्ति हैं, उनके राशन कार्ड को निरस्त करते हुए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छूटे हुए हैं, उनको भी राशन कार्ड उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है। इसमें पंचायत के मुखिया के साथ–साथ प्रखण्ड के अधिकारी आगे आएँ एवं टीम गठित करते हुए निरीक्षण कर राशन कार्ड को निरस्त किया जाए, तो यह उचित होगा। अध्यक्ष द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई एवं बताया गया कि अन्य जिलों में यह बात रखी गई है कि ऐसे लोग जो सम्पन्न हैं एवं कार्ड रखने की अहर्ता नहीं रखते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर उनका नाम हटवाने में मदद करें। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अन्य जिलों में ऐसा सुझाव आया था कि यदि वे 40 लोगों का नाम हटवा दें, तो उन्हें इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि उनके पंचायत के ही 40 लोगों का नाम जुड़ेगा। यदि वे नाम हटवा दिये एवं दूसरे जगह के लोगों का नाम जोड़ दिया जाएगा, तो फिर दुश्मनी भी मोल लेंगे और उनके पंचायत के लोग अनाज से भी वंचित हो जायेंगे। आयोग ने इस संदर्भ में भी पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि जिस पंचायत से जितने अयोग्य लोगों को चिन्हित कर उनका नाम हटाया जाए, चाहे वो 40 लोग या 50 लोग, तो नये लोगों को जोड़ने की अनुशंसा ग्राम सभा के माध्यम से मुखिया करें, तो उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए। अधिकारियों की मर्जी पर नहीं छोड़ दिया जाए। यह भी बताया गया कि नीतिगत निर्णय लेने का राज्य सरकार का विशेष अधिकार है। आयोग सिर्फ अनुशंसा कर सकता है एवं आयोग ने अनुशंसा की है।
- श्री गुंजन साव, मुखिया, पंचायत–रेलीगढ़ा, प्रखण्ड–डाड़ी द्वारा बताया गया कि नाम हटवाने के लिये एक समिति बने एवं उसी के आधार पर नाम कटे, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पंचायत में

निश्चित रूप से जिसे राशन मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है एवं जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। लोग 2017 से आवेदन दिये हुए हैं, लेकिन निपटारा नहीं हो रहा है। एक लाभुक हजारीबाग में रहने वाला है, किन्तु उसका नाम चतरा जिला में चला गया है एवं अभी तक उनका नाम जिले में नहीं जुड़ पाया है। मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है, इस सम्बन्ध में उपायुक्त एवं आयोग को भी आवेदन दिया गया है, मुखिया द्वारा कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, हजारीबाग को जाँच कर लिखित रूप में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया।

- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि राशन डीलर का कमीशन काफी दिन से नहीं आया है। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 03 माह का कमीशन आया है, जिसका भुगतान कर दिया गया है एवं PMGKAY के कमीशन की राशि नहीं आयी है, जैसे ही केन्द्र सरकार से उक्त राशि प्राप्त होगी, भुगतान कर दिया जाएगा। मुखिया द्वारा कहा गया कि डीलर का 12–13 माह का राशन का जो कटौती किया जा रहा है, वो 1–3 माह कर के कटौती किया जाता, तो डीलर को सुविधा हो जाती। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि डीलर को राशन कम नहीं दिया गया, डीलर झूठ बोलता है कि उन्हें पीछे से राशन कम मिला, इसलिये वे राशन कम देंगे। उसे पीछे से कम नहीं मिला बल्कि पिछले माह में बचे अनाज की कटौती कर राशन दिया गया है। इसलिये मुखिया डीलर के तर्क की पड़ताल कर लें एवं किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले जानकारी प्राप्त कर लें।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस प्रकार आयोग द्वारा मुखिया से संवाद किया जा रहा है, उसी प्रकार हर प्रखण्ड में भी किया जाए। जिसमें मुखिया, सभी डीलर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कुछ जनता भी रहें, इससे संवाद ज्यादा कारगार होगा। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि सुझाव बहुत उपयुक्त है। कहा गया कि आयोग में पहले ही यह योजना बनी थी कि पहले जिला भ्रमण किया जाएगा, उसके बाद प्रखण्डों का भ्रमण किया जाएगा। विगत वर्ष 09 दिसम्बर को आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले राज्य के 07 अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को सम्मानित किया गया था। इस बार से हर जिले से बेहतर कार्य करने वाल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले मुखिया को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निर्धारित मापदण्ड प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सभी को भेज दिया जाएगा। आयोग ने तय किया है कि जो जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आयेंगे, उनके पंचायत में आयोग जाएगा, संभव हुआ तो अध्यक्ष

एवं सदस्या जायेंगे, नहीं संभव हुआ तो आयोग की टीम जाएगी। वहाँ मुखिया द्वारा किये गये कार्यों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, वो तमाम टी0वी0 चैनलों में प्रसारित कराया जाएगा, तमाम अखबारों में प्रकाशित कराया जाएगा, ताकि पूरे राज्य एवं देश को बताया जा सके कि इस जिले के मुखिया ने कैसा कार्य किया है।

- श्रीमती देवन्ती देवी, मुखिया, पंचायत–करमा, प्रखण्ड–चौपारण द्वारा बताया गया कि वहाँ की जनता ने लिखित आवेदन दिया है कि उन्हें कम खाद्यान्न मिल रहा है। आवेदन की प्रति आयोग को उपलब्ध करायी गयी।
- श्री लखन लाल महतो, मुखिया, पंचायत–डाड़ी, प्रखण्ड–डाड़ी द्वारा बताया गया कि डाड़ी प्रखण्ड हजारीबाग से 70 कि0मी0 दूर है। वहाँ से जो राशन का उठाव होता है, तो जल्दबाजी में डीलर के पास जैसे–तैसे राशन भेज दिया जाता है। डीलर द्वारा वजन कर राशन देने की बात कही जाती है, लेकिन उन्हें वजन कर नहीं दिया जाता है। डीलर द्वारा बुलाने पर मुखिया अपने सामने जब राशन का वजन कराते हैं, तो पाया जात है कि किसी बोरे में 43 कि0ग्रा0 एवं किसी बोरे में 44 कि0ग्रा0 राशन है। मुखिया द्वारा आग्रह किया गया कि डाड़ी प्रखण्ड में कम से कम एक गोदाम की व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो एवं मुखिया की निगरानी में अनाज का उठाव हो सके। मुखिया द्वारा यह भी बताया गया कि ई–पॉस मशीन बहुत पुराना हो गया है। बहुत जगह यह मशीन काम नहीं कर रहा है। डीलर की उपस्थिति में पर्ची निकालने की कोशिश की गई लेकिन नहीं निकल पाया। मशीन ठीक कराने की व्यवस्था हजारीबाग में है एवं भाड़ा लगने के कारण डीलर मशीन ठीक कराने नहीं जाते हैं। मुखिया द्वारा बताया गया कि यदि डीलर के पास एक माह का आवंटन अवशेष रह गया है, तो उसे अगले माह ही काट लेना चाहिए। लेकिन इस बार देखा गया कि अगस्त माह में किसी–किसी डीलर का आवंटन शून्य आ गया है, वैसी स्थिति में उनकी परेशानी बढ़ गई। इस पर मुखिया द्वारा डीलर को बताया गया कि अवशेष है, इसलिये तो शून्य आया है। डीलर का कहना है कि 1.5 वर्ष एवं 02 वर्ष का अवशेष है एवं एक बार में काट लिया जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक माह यदि अवशेष बचता है, तो अगले माह उसके अवशेष को काट लिया जाए, ताकि उनके ऊपर भी बोझ न पड़े।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि मुखिया को जानकारी नहीं रहती है कि डीलर के पास कितना अनाज आया है, कितना उठाव हुआ एवं माह में कितना वितरण हुआ। आग्रह किया गया कि विभाग द्वारा प्रखण्डवार हर पंचायत में जानकारी हो जानी चाहिए कि किस डीलर के पास और कितना अनाज आया, कितना वितरण हुआ एवं कितना अवशेष बचा। मुखिया को यह भी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार मशीन से पर्ची निकलता है एवं किस प्रकार

डीलर चोरी करते हैं। मुखिया को जानकारी एवं ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि किस प्रकार मुखिया निगरानी रख सके। जब तक मुखिया को जानकारी एवं ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, तब तक अच्छे से निगरानी नहीं रख पायेंगे। मुखिया द्वारा आग्रह किया गया कि ट्रेनिंग दिया जाए एवं मशीन की जानकारी दिलायी जाए। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि सुझाव उचित है, इस सम्बन्ध में यथाशक्ति प्रयास किया जाएगा।

- श्री कृष्ण रविदास, मुखिया, पंचायत–भगहर, प्रखण्ड–चौपारण द्वारा बताया गया कि उनका पंचायत चौपारण प्रखण्ड से लगभग 25 कि0मी0 दूर है एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र है। इस पंचायत में 06 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं एवं एक भी केन्द्र का भवन बना हुआ नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका चौपारण में रहती है एवं केन्द्र जाती भी नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये उपायुक्त को पत्र भी दिया गया है, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा बताया गया कि जिले में 254 पंचायत है। सुझाव दिया गया कि हर पंचायत में एक सरकारी डीलर (वेतन भोगी) का दुकान खोला जाए, इससे उन्हें जॉब भी मिल जाएगा एवं वे पूरे माह काम भी करेंगे।
- श्री जय प्रकाश केसरी, मुखिया, पंचायत–ढौठवा, प्रखण्ड–कटकमसांडी द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में 04 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। माड़ीगढ़ा में आंगनबाड़ी केन्द्र है लेकिन वहाँ 05–07 वर्ष पहले केन्द्र बना है, किन्तु अभी तक संचालित नहीं हुआ है। वहाँ के बच्चों को एस्बेस्टेस के घर में पढ़ाया जा रहा है जिसमें पानी टपकता है। बच्चे भीग कर पढ़ते हैं एवं उस समय उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र जो लंबित है, उसे बनवाने का कार्य किया जाए। अमझर बचरा गांव में 100 से अधिक घर है, किन्तु एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है, वहाँ भी आंगनबाड़ी केन्द्र होना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि जितने मुखिया ने अपना सुझाव दिया है, वे आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर उन सारी बातों को लिखित रूप में भी आयोग को भेज दें।
- श्री दिनेश साव, मुखिया, पंचायत–कण्डबेर, प्रखण्ड–केरेडारी द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में 07 राशन डीलर है, उनमें से 03 डीलर द्वारा जो अगस्त माह का राशन गेहूँ–चावल मिलाकर 3.5 कि0ग्रा0 दिया गया। मुखिया द्वारा प्रखण्ड में बताया गया, तो वे शो–कॉज के लिये पत्र निकाले। डीलर द्वारा अपने घर में दुकान रखे हुए हैं एवं मनमाना रूप से राशन का वितरण करते हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दो बार शिकायत की गई है, इस पर संज्ञान लिया जाए। मामले में आयोग के अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा कहा गया कि डीलर द्वारा 01 से 15 तारीख तक ही राशन का वितरण किया जाता है। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा कहा

गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पूरे माह राशन का वितरण करना है। यदि इस माह कोई राशन नहीं ले पाते हैं, तो अगले माह 15 दिन का अतिरिक्त विस्तार दिया जा रहा है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यदि कोई डीलर ऐसा करता है, तो आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर लिख कर शिकायत करें।

- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा कहा गया कि जो भी डीलर के खाद्यान्न का स्टॉक था एवं उसे एक बार में ही काटा जा रहा है, इसके लिये समय दिया जाए कि 2–3 माह में कटे, इसे संज्ञान में लिया जाए। विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन चल रहा है, मुखिया द्वारा निरीक्षण किया जाता है। मुखिया द्वारा अपने पंचायत में क्षेत्र को कुपोषण मुक्त करने के लिये एक बैठक किया गया था, इस बैठक में शिक्षक आए थे। शिक्षक द्वारा कहा गया था कि खाद्यान्न तो FCI से मिल जाता है, किन्तु जो कूकिंग कॉस्ट, जो फल एवं अण्डा का कॉस्ट है, वो पैसा नहीं मिलता है एवं कहीं–कहीं से उधार भी नहीं मिलता है, तो सरकार की योजना बाधित हो जाती है। मुखिया द्वारा कूकिंग कॉस्ट की राशि समय पर दिलाने का आग्रह किया गया, ताकि विद्यालय के मध्याह्न भोजन में कोई व्यवधान नहीं हो। वर्ष–2003 में आंगनबाड़ी केन्द्र रफ्तार से बना था, इसके बाद जनसंख्या काफी बढ़ी है। जहाँ जनसंख्या बढ़ गई है, वहाँ विभाग से जाँच करा कर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने का आग्रह आयोग से किया गया।
- संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य मुखिया द्वारा कहा गया कि डीलर को आदेश दिया जाए कि हर माह कितना आवंटन हुआ, कितना वितरण किया गया, वे मुखिया से रिसिविंग करा लें। चालकुशा प्रखण्ड के भुईंयर टोली के आंगनबाड़ी केन्द्र में खिड़की एवं दरवाजा नही रहने एवं विद्यालयों में MDM का मेन्यू नहीं रहने आदि की बात कही गयी। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस आशय की लिखित रूप में आयोग में शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया। अध्यक्ष द्वारा मुखिया को आश्वस्त किया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी।
- श्रीमती रेखा देवी, मुखिया, पंचायत–पाण्डेयबारा, प्रखण्ड–चौपारण द्वारा प्रखण्ड गोदाम छोटा रहने की बात कहते हुए एक गोदाम मुहैया कराने का अनुरोध किया गया। यह भी कहा गया कि जिले के सभी डीलर द्वारा पूरे माह दुकान नहीं खोला जाता है। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कल ही आदेश निर्गत करें एवं आयोग को आदेश की प्रति उपलब्ध कराएँ कि यदि कोई डीलर 30 दिन दुकान नहीं खोलते हैं, तो इस पर स्वतः कार्रवाई हो जाएगी, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 01 से 05 तारीख तक फ्रिजिंग का कार्य होता है, इसलिये राशन का वितरण नहीं हो पाता है, बाकी दिन वितरण होगा।

- मुखिया द्वारा बताया गया कि पूरे जिले में यदि डीलर के पास चीनी चला जाता है, तो बहुत ही कम लाभुकों को प्राप्त होता है, चीनी से लाभुक वंचित रहते हैं। जनवितरण प्रणाली की जो सुविधा है वो हर गांव के हर दबे–कुचले एवं गरीबों को मिले, जिसके वे पात्र हैं। जो गरीब लोग छूटे हुए हैं, उनका हरा राशन कार्ड बन गया है। मुखिया द्वारा बताया गया कि वे अपने पंचायत के लोगों से आग्रह करेंगे कि अयोग्य लाभुक अपना कार्ड सरेंडर कर दें, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। मुखिया द्वारा कहा गया कि यदि उनके पंचायत की जनसंख्या 5000.00 है, तो सिर्फ 1000.00 लोग ही राशन कार्ड के लिये योग्य हैं। अतः कार्ड में जब भी संशोधन होगा, तो इसमें योग्य एवं गरीब जो दूर–सुदर छूटे हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। कई ऐसे लोग हैं, जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है एवं उन्हें ईलाज के लिये आयुषमान कार्ड की आवश्यकता है। मुखिया द्वारा आग्रह किया गया कि यदि मुखिया की ओर से कोई आवेदन दिया जाए, तो इस पर कार्रवाई किया जाए एवं नाम जोड़ा जाए। साथ ही चौपारण प्रखण्ड में पणन पदाधिकारी को भी नियुक्त किया जाए, ताकि पंचायत को सुचारू रूप से वे देख सकें।

7. आयोग की सदस्या का संबोधन

- आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा दोनो जिलों (रामगढ़ एवं हजारीबाग) के मुखियागण को संबोधित करते हुए बताया गया कि जो समाज के सबसे निम्न तबके के लोग हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाएँ उनके लिये है। बहुत सारे लोग अधिनियम की जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की बात होती है, तो अक्सर लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि यह केवल जनवितरण प्रणाली से ही सम्बन्धित है। लेकिन कार्यक्रम के शुरूआत में ही विभिन्न विभागों के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनकी विस्तारपूर्वक जानकारी सभी मुखिया को दी गई है। माननीय सदस्या द्वारा कहा गया कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत् चलाये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्र से सम्बन्धित जानकारी विस्तारपूर्वक मुखियागण के सामने रखी गई। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है एवं अपना निबंधन आंगनबाड़ी केन्द्र में कराती है, तो उन्हें 5000.00 रू0 की राशि दी जाती है। पहले यह राशि प्रथम प्रसव में ही मिलता था, किन्तु वर्तमान में अब कोई भी महिला जो दूसरी संतान के रूप

में बालिका को जन्म देती है, तो उन्हें एकमुश्त 6000.00 रू0 की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जब गर्भवती संस्थागत प्रसव कराती है, तो उन्हें अलग से इसका लाभ मिलता है। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार दिये जाने एवं गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को Food Packet पोषाहार के रूप में उन्हें मीठी एवं नमकीन पौष्टिक दलिया दिये जाने का प्रावधान है। उस दलिया से लोग बहुत अच्छी–अच्छी रेसेपी यथा–निमकी, इडली, रोटी बना सकते हैं, ताकि खाने में स्वादिष्ट हो एवं उन्हें उसका पूरा पोषण मिले।

- आयोग की सदस्या द्वारा बताया गया कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 08 तक पी0एम0 पोषण कार्यक्रम चलाया जाता है। सभी मुखियागण को अध्यक्ष के निर्देशानुसार मेन्यू की एक–एक प्रति उपलब्ध कराई गई। सदस्या द्वारा कहा गया कि मेन्यू की प्रति मुखियागण को इसलिये उपलब्ध कराई गई है, कि पंचायत के मुखिया होने के नाते उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि किस दिन बच्चों को क्या–क्या मिलना है। जब मुखिया विद्यालय में जाएँ, तो सबसे पहले वहाँ यह देखें कि Display board लगा हुआ है या नहीं। यदि Display board लगा होगा एवं बोर्ड में लिखा होगा, तो बच्चे भी जानेंगे कि आज मध्याह्न भोजन में उन्हें क्या मिलना है। अभिभावक एवं मुखिया विद्यालय जायेंगे, तो उन्हें पता चल पाएगा कि आज क्या मिलना है एवं वो मिल रहा है या नहीं तथा भोजन की गुणवत्ता कैसी है। माननीय सदस्या द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष महोदय के साथ जब वे किसी जिले में जाती हैं, तो उस जिले के किसी विद्यालय में जा कर बच्चों के साथ बैठ कर उसी भोजन को खाते हैं, ताकि भोजन की गुणवत्ता का पता चले एवं लोगों के बीच एक मैसेज जाए कि वो भोजन खाने के लायक है या नहीं।
- आयोग की सदस्या द्वारा जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित जानकारी मुखियागण को दी गई। बताया गया कि राशन डीलर के माध्यम से राशन लाभुकों को दिया जाता है। AAY, PH एवं हरा राशन कार्डधारियों को कितना राशन मिलना है, उसकी मात्रा निर्धारित है। AAY राशन कार्ड में प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0, PH राशन कार्ड में प्रति व्यक्ति 05 कि0ग्रा0 मिलने का प्रावधान है, किन्तु इसमें कटौती की जाती है। आयोग में अक्सर शिकायतें आती हैं कि लाभुकों को आधा कि0ग्रा0 या 01 कि0ग्रा0 राशन कम मिला, ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची लाभुकों को मिलता ही नहीं है, क्योंकि लाभुकों को पर्ची मिलेगा, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कितना राशन मिलना चाहिए एवं कितना मिला ? ई–पॉस मशीन द्वारा जो पर्ची निकलती है, उस स्थान पर डीलर द्वारा कागज को तोड़–मरोड़ कर फंसा दिया जाता है, जिससे पर्ची निकले ही नहीं एवं डीलर द्वारा कहा जाता है कि मशीन खराब है, पर्ची नहीं निकल रहा, वे कहाँ से देंगे। गड़बड़ियाँ सबसे ज्यादा इसी में होती है। मुखिया इस बात का ख्याल रखें कि जो डीलर उनके पंचायत के हैं, उनसे लाभुकों को पर्ची

जरूर दिलायें, क्योंकि जब पर्ची निकलेगा तभी पता चलेगा कि लाभुकों को जितनी मात्रा में खाद्यान्न मिलना है, वो मिल रहा है नहीं।

- माननीय सदस्या द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण उपचार केन्द्र आपके जिले में चलाया जा रहा है। जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र में उसका वजन होता है, उसकी लंबाई मापी जाती है। यदि वे साधारण बच्चे की तरह नहीं होते हैं, तो उसे हम अति कुपोषित बच्चे कहते हैं। अति कुपोषित बच्चों के उपचार के लिये प्रत्येक जिले में कुपोषण उपचार केन्द्र बना हुआ है। मुखियागण लोगों को प्रेरित करें। जिले में बहुत बार शिकायत आती है कि कुपोषण उपचार केन्द्र में डॉक्टर अपनी ड्यूटि निभाने एवं कुपोषित बच्चे के उपचार करने के लिये तैयार हैं, किन्तु बहुत से अभिभावक ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चे को केन्द्र में भर्ती नहीं कराते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच्चे को भर्ती करायेंगे, तो उस बच्चे की देखरेख करने के लिये एक व्यक्ति भी चाहिए एवं उसकी माँ ही बच्चे की देखरेख कर सकती है, तो ज्यादातर लोग केन्द्र में जाना नहीं चाहते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी–अच्छी योजनाएँ बनाई है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा, जब उसकी सही जानकारी होगी। माननीय सदस्या ने मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि आप लोग मुखिया हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आपके क्षेत्र में जो अति कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराएँ, ताकि उनका सही उपचार हो पाये एवं बच्चा स्वस्थ हो सके। बच्चे के साथ रहने वाली उसकी माँ को सरकार की ओर से राशि दी जाती है, ताकि वो अपनी मजदूरी की पूर्ति कर सके।
- माननीय सदस्या द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि यदि उपरोक्त योजनाओं से सम्बन्धित कोई समस्या होती है, तो अपर समाहर्त्ता जो जिले के पदेन जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, उनके समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आयोग में अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग में शिकायत करना बहुत आसान है, मुखिया को दिये गये किट में आयोग का वाट्सएप्प नंबर दिया गया है। अपनी शिकायत प्रमाण के साथ आवेदन आयोग को वाट्सएप्प कर दें। आयोग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
- माननीय सदस्या द्वारा कहा गया कि आयोग में बहुत सारी यह भी शिकायतें आती हैं कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है या राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है। नाम कैसे जुड़ेगा, जब रिक्ति होगी, तभी नाम जुड़ पाएगा। मुखिया को अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी वे किसी तरह अपना राशन कार्ड बना कर रखे हुए हैं। जब सुखी सम्पन्न लोग राशन कार्ड बना लेंगे, तो वे किसी गरीब का हक मार रहे हैं, क्योंकि यह जो योजना है, वो

समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिये है। मुखिया का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने पंचायत के वैसे लोगों को चिन्हित करें। जो इस लायक नहीं हैं, वो अपना राशन कार्ड स्वयं सरेंडर कर दें एवं किसी गरीब का हक नहीं मारें। जब राशन कार्ड से किसी का नाम डिलिट होगा, तभी किसी नये लोगों का नाम जुड़ेगा। कई ऐसे गरीब लोग हैं, जिन्हें राशन कार्ड की अति आवश्यकता है, लेकिन अधिकारी चाह कर भी उनका नाम नहीं जोड़ पाते हैं। मुखिया को दिये गये किट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कौन लोग राशन कार्ड के लिये पात्र हैं एवं कौन अपात्र हैं। सम्पन्न लोगों का राशन कार्ड सरेंडर करने के लिये उनसे आग्रह करें, ताकि जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके।

8. आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

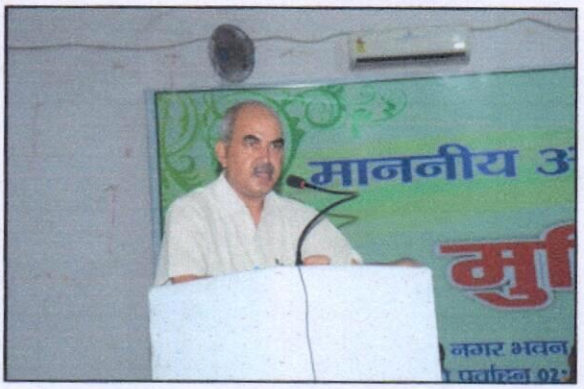

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा दोनो जिलों (रामगढ़ एवं हजारीबाग) के मुखिया से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि मुखियागण को यह जानना जरूरी है कि आखिर आज का कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया एवं इस खराब मौसम में मुखियागण को क्यों बुलाया गया ? अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वे जब भी किसी अन्य जिले में जाते हैं एवं यह सवाल सभी सम्मानित मुखिया से पूछते हैं कि मुखिया बताएँ कि वे कौन हैं, तो सबको लगता है कि उनसे पहेली पूछा जा रहा है। किन्तु यह सवाल इसलिये पूछा जाता है कि मुखिया को यह एहसास होना चाहिए कि वे सिर्फ निर्वाचित मुखिया नहीं हैं, बल्कि इस समाज की नींव हैं। नींव जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी इमारत मजबूत नहीं हो सकता है। यह देश, राज्य अथवा जिला तभी विकसित होगा, जब हमारे मुखिया जानकार होंगे। अपने हक एवं अधिकार के बारे में जानेंगे एवं लोगों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसलिये आयोग आपको यह एहसास दिलाने आया है कि मुखिया इस समाज की नींव हैं एवं वे जितने मजबूत होंगे, व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होगी। मुखिया को अपने कर्तव्य का बोध कराने खाद्य आयोग आया है एवं राज्य के हर जिले का भ्रमण कर रहा है। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई गई है, वह बड़ी सोच समझ कर बनाई गई है। इसका मूल मकसद है कि जिले के अधिकारी आपको यह बताएँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की योजनाएँ क्या–क्या हैं, ताकि मुखिया को यह जानकारी रहे कि किस योजना में क्या मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो शिकायत कहाँ करनी है

? इस कार्यक्रम की योजना इसलिये ऐसी बनाई गई है कि अधिकारी आयोग की उपस्थिति में मुखिया को योजनाओं की जानकारी दें, ताकि कोई भी अधिकारी मुखिया को गुमराह नहीं कर पाये। जिले के अधिकारियों से यह बात इसलिये बताई जाती है कि अधिकारी किसी योजना के बारे में बताते हैं एवं कल के तारीख में वे मुकर जाते हैं कि ऐसा नहीं है, योजना में यह नहीं मिलता, योजना में ये मिलता है, तब मुखिया उन अधिकारियों से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने आयोग के बैठक में तो कहा था, कि इस योजना में ये मिलता है या ये अधिकार हैं। आयोग का प्रयास सफल तब होगा, जब इस कार्यक्रम में जो जानकारी मुखियागण को दी जा रही है, वो जानकारी मुखिया अपने तक ही न रखें, वो अपने क्षेत्र के लोगों तक जानकारी पहुँचायें। आज के समय समस्या यह है कि अज्ञानता का लाभ व्यवस्था उठा रही है, अधिकारी उठा रहे हैं। लोगों को जानकारी नहीं रहती है, तो वे अपने अधिकारों की मांग नहीं करते हैं।

- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुखिया सिर्फ समस्या की चर्चा करने के लिये नहीं हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि उस समस्या का निदान कैसे हो। निदान नहीं हो रहा है, तो उन्हें संघर्ष करना होगा। जब तक मुखिया अपनी मदद नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कोई मदद नहीं करेगा। मुखिया अपनी बातों को रखने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार अंदाजा नहीं रहता है कि बच्चे को भूख लगी है या नहीं। जब बच्चा रोता है, तो अंदाजा होता है कि बच्चे को भूख लगी है। अधिकारी के लिये सेवा उनका कर्तव्य है, लेकिन मुखिया के लिये सेवा धर्म है। व्यवस्थाएँ सभी को सुधारना है। यह समाज हमारा है एवं हमें ही तय करना है कि समाज को बनाना है या बिगाड़ना है।
- अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कई बार डीलर द्वारा ई–पॉस मशीन में कागज फंसा दिया जाता है एवं उनके द्वारा कई तर्कों का सहारा लिया जाता है। मुखिया को अपने–आप से यह पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने अब तक क्या किया ? क्या मुखिया ने इसे दूर करने की कोई पहल की या नहीं ? मुखिया का स्वयं से बढ़ कर मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता है। मुखिया स्वयं से पूछें कि उनका जो कर्तव्य है, क्या वे इसका निर्वहन कर रहे हैं ? मुखिया सिर्फ निर्वाचित मुखिया नहीं हैं, वे यह जान लें कि भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन चाहे जो भी नियम बना ले वो तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता है, जब तक मुखिया का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिये मुखिया समाज के नींव हैं। किसी भी भवन, किसी भी इमारत या किसी भी स्ट्रक्चर जिसे सदियों तक रहना है, वो तब तक नहीं रह सकता है, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होंगे। इसलिये मुखिया यदि मजबूत नहीं होंगे तो वे अपने स्वयं के अधिकार एवं जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके अधिकार के रक्षा के लिये यदि वे कदम आगे नहीं बढ़ायेंगे, तो यह समाज मजबूत नहीं होगा, मुखिया का जो कर्तव्य है, उसके साथ वे न्याय नहीं कर पायेंगे।

- अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा हर जिले में यह कहा जाता है एवं इस कार्यक्रम में भी कहा जा रहा है कि मुखिया के पास विकास के लिये तमाम फंड आते होंगे एवं विकास के योजनाओं का क्रियान्वयन करना भी मुखिया की जिम्मेवारी है। सड़क बनाना, नाली बनाना ये तमाम तरह के कार्य करने हैं, यह मुखिया का विवेक है, अधिकार है कि कौन सा कार्य करना चाहते हैं एवं कौन सा नहीं ? अध्यक्ष द्वारा मुखियागण से आग्रह किया गया कि जितनी योजनाओं के बारे में उन्हें विस्तारपूर्वक बताया गया, इन योजनाओं की निगरानी मुखिया अपना धर्म मानें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की योजनाएँ समाज के आखिरी पंक्ति खड़े लोगों को सरकार उन्हें राशन कार्ड एवं सहायता दे रही है। यदि वे कमजोर हैं, तो उन्हें मुख्यधारा में लाना है, उनको चिन्हित करना हमारी जिम्मेवारी है। मुखियागण से आग्रह किया गया कि अन्य योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करना है, वो अपने विवेक से करें लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में जितनी भी योजनाएँ हैं, उसे वे अपना धर्म समझें।
- अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को विद्यालयों में पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू की प्रति उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। वह मेन्यू की प्रति मुखियागण को इसलिये दी गई क्योंकि मुखिया अपने पंचायत के विद्यालयों का जब–तब, अचानक, बता कर या बिना बताये निरीक्षण करें एवं यह देखें कि विद्यालय में मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जा रहा है या नहीं। हर विद्यालय में प्रावधान है कि मेन्यू की प्रति दिवार पर अंकित होनी चाहिए। मेन्यू लिखा है या नहीं, यह सुनिश्चित मुखिया को करना है। मेन्यू लगे होने से किस दिन अण्डा मिलना है या सोयाबिन की सब्जी मिलनी है, जो मेन्यू में लिखा है एवं शिक्षक या प्रबंधन समिति ने नहीं बनाया, तो बच्चे स्वयं शिक्षक से पूछेंगे कि आज सोयाबिन मिलना था, क्यों नहीं मिला। आयोग का मानना है कि सारी गड़बिड़यों की जड़ होती है जानकारी का छिपा रहना। सूचना एवं जानकारियाँ सार्वजनिक होते ही तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। मुखियागण से आग्रह किया गया कि वो ये सुनिश्चित करायें कि विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं जनवितरण प्रणाली केन्द्रों के बाहर सूचना पट्ट में मेन्यू/विवरण Display हो। इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर उनके पास उपलब्ध फण्ड का इस्तेमाल करें। फण्ड नहीं होने पर जिला प्रशासन से संपर्क करें। जिला प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता है, तो आयोग से संपर्क करें। सभी जनवितरण प्रणाली दुकान में सूचना पट्ट जिसमें कार्डधारियों की संख्या, कितना अनाज मिलना है, अनाज मिलने के बाद रसीद लेना है, अंगूठा तब तक नहीं लगाना है, जब तक राशन मिले आदि अंकित हो। कुपोषण उपचार केन्द्र में किन बच्चों को भेजना है, उन बच्चों को चिन्हित कैसे करना है, इसकी जानकारी लिखा हुआ हो। सूचना पट्ट लगवाना हर विभाग का प्रावधान है, किन्तु यह प्रावधान लागू नहीं हो रहा है। मुखिया ये कर पायें

तो समाज, राज्य एवं खाद्य आयोग के लिये भी मुखिया की ओर से ये बहुत बड़ी मदद होगी। वे अपने पंचायत भवन के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाएँ, संभव हो तो वॉल राइटिंग कराएँ। जो भी माध्यम मुखिया को बेहतर लगता है, जो वे कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से जुड़ी जितनी योजनाएँ हैं, जैसे–आंगनबाड़ी केन्द्र, जनवितरण प्रणाली, कुपोषण उपचार केन्द्र एवं पी0एम0 पोषण, उन योजनाओं के बारे में विस्तार से लिखवायें। यदि मुखिया को दिक्कत हो, तो कन्टेंट बना कर आयोग उन्हें भेज देगा। बड़ा सा होर्डिंग पंचायत भवन के बाहर लगवाएँ, ताकि गांव के आने–जाने वाले लोग उस होर्डिंग के माध्यम से यह जान पाएँ कि किनको क्या अधिकार मिला हुआ है ? अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुखिया को यह बात इसलिये कही जा रही है कि मुखिया इस संवाद कार्यक्रम में आए तो उन्हें बहुत सारी जानकारी मिली। अब वे जानकारी के आधार पर अधिकारियों से तक–वितर्क कर सकते हैं। मुखिया होर्डिंग लगवाएँगे, तो होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी, तो वे लोग मुखिया से तर्क–वितर्क कर सकते हैं। जितना अधिकार मुखिया को है, उतना ही अधिकार भारत के हर नागरिक को है। इसलिये हर व्यक्ति को अपना अधिकार समझना चाहिए एवं समझ कर चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अधिकार मांगने के लिये संघर्ष करना चाहिए।

- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अमूमन शिकायत आती है कि डीलर राशन कम देता है, समय पर नहीं देता है, रसीद नहीं देता है, तो यह सारी चीजें मुखिया को सुनिश्चित करना है एवं यह मुखिया की जिम्मेवारी है। सवाल अब यह उठता है कि कोई डीलर उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें क्या करना है ? मुखिया को कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना है, हर चीज के लिये वैधानिक एवं संवैधानिक तरीके हैं। इसकी शिकायत करें, इसलिये आयोग द्वारा मुखियागण को किट दिया गया है, इसमें आयोग का वाट्सएप्प नंबर है।
- अध्यक्ष द्वारा रामगढ़ जिले के अधिकारियों की संवेदनशीलता की तारीफ करते हुए कहा गया कि इस बात की खुशी है कि सारे अधिकारियों ने अपना मोबाइल नंबर मुखियागण को दिया। मुखिया अधिकारियों को भी वाट्सएप्प के माध्यम से शिकायत करें। वहाँ बात नहीं सुनी जाती है या उनके निदान से मुखिया संतुष्ट नहीं हैं, तो आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर शिकायत करें। आयोग भी तब तक बदलाव नहीं कर सकता है, जब तक मुखिया का सहयोग नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मुखिया भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, जब तक आयोग का सहयोग उन्हें नहीं मिलेगा। दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। न आयोग अपने में पूर्ण है और न मुखिया अपने में पूर्ण है। इसलिये आयोग एवं मुखिया मिल कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की जितनी भी योजनाएँ हैं, उन्हें अक्षरशः लागू कराएँ। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अब तक मुखिया इन योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं थे, तो

आयोग मान सकता है कि जानकारी के अभाव में मुखिया अपने कर्तव्यों की ओर गंभीरता से नहीं लगे हुए थे, लेकिन अब मुखिया को बता दिया गया कि उनके अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। इसलिये मुखिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएँ हैं, उसे लागू कराएँ।

- अध्यक्ष द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज अधिकारी इस जिले में हैं, कल इनका तबादला हो जाएगा, फिर कोई और अधिकारी आयेंगे। आयोग में कल कोई और अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे। मतलब जो व्यक्ति पद में बैठा है, वो स्थायी नहीं है, लेकिन मुखिया स्थायी हैं, मुखिया का समाज से आज का नहीं, कई पीढ़ियों का सम्बन्ध में। हो सकता है कि कल वे मुखिया नहीं रहेंगे लेकिन वे अपने समाज से दूर नहीं जा सकते हैं। मुखिया नहीं रहने के बावजूद वे समाज में रहेंगे। यदि समाज खराब होगा, तो न सिर्फ आज की पीढ़ी बल्कि आने वाले पीढ़ी भी मुखिया को कोसेगी कि कैसे हमारे प्रतिनिधि थे, कैसे हमारे पूर्वज थे, कैसे हमारे माता–पिता थे, जो समाज बचा नहीं पाये। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वे समाज बचाने की बात इसलिये कर रहें हैं, क्योंकि आज जनवितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन का वितरण किया जा रहा है, आंगनबाड़ी केन्द्रों में जितनी भी योजनाएँ संचालित हो रही है, विद्यालयों में पी0एम0 पोषण दिया जा रहा है, कुपोषण उपचार केन्द्र चलाये जा रहे हैं, यह किनके लिये चलाई जा रही है ? यह उनके लिये चलाई जा रही है, जो स्वयं में सक्षम नहीं हैं। मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, या स्वयं को जीवित रखने के लिये सरकार की योजना पर निर्भर हैं। समाज में जो पीछे छूट गये हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिये ये योजनाएँ हैं। जो समाज में वंचित व्यक्ति हैं, उनको लाभ दिलाने के लिये ये योजनाएँ बनाई गई है। ऐसे लोगों को मुखिया लाभ नहीं पहुँचायेंगे या लाभ पहुँचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो न हमारा समाज समृद्ध हो सकता है और न ही कुपोषण मुक्त हो सकता है। क्योंकि मुखिया एक ऐसे पद पर बैठे हैं, जहाँ वे समाज का भला कर सकते हैं। यदि बच्चों को विद्यालय में बेहतर भोजन नहीं मिले, लोगों को पर्याप्त भोजन न मिले, तो मुखिया का ही समाज कुपोषित होगा, उनके ही समाज के लोग भूखे रहने को मजबूर होंगे। ऐसे में न तो स्वस्थ समाज बन सकता है और न कुपोषण मुक्त समाज बन सकता है। इसलिये मुखिया यह देखें कि अधिकारी कुछ ऐसी बात कहते हैं, जो आपको लगता है कि यह गलत है या उचित नहीं है या आपके समाज के लोगों के लिये उचित नहीं है, तो उस बात के विरूद्ध आवज उठाएँ। इसलिये आयोग ने अपना टैग लाईन बनाया है, ***''अधिकार जानें, अधिकार मांगे''***। क्योंकि जब तक आप लोग अपना अधिकार जानेंगे नहीं तब तक इसे मांगेंगे नहीं, इसलिये आयोग मुखिया का अधिकार बताने के लिये आया है।

- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि जैसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष होता है, यह क्या है एवं क्यों बनाया गया है, यह जानना जरूरी है। यह कोष इसलिये बनाया गया है कि राशन कार्ड बनाने का एक नियम है, एक प्रावधान है एवं उसकी प्रक्रिया है। कई बार जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसर पर यह आदेश पारित किया है कि किसी भी परिस्थिति में देश का एक भी नागरिक भूखा न रहे। जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उनको राशन नहीं मिल पाता है, इसलिये आकस्मिक खाद्यान्न कोष की व्यवस्था की गई है। इसके तहत् ऐसे लोगों को जिनका राशन कार्ड नहीं बना है या जिनका राशन कार्ड बना है एवं किसी कारण से राशन नहीं मिल रहा है, किन्हीं का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पा रहा है एवं वैसे व्यक्ति की भोजन के अभाव में मौत हो जाने का खतरा है, इसलिए हर पंचायत में 10000.00 रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई है, यदि उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो करा दी जाएगी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से राशि उपलब्ध कराने हेतु कहें। इस राशि से वैसे व्यक्ति जिसे खाद्यान्न का संकट हो, तो उन्हें इस कोष से मुखिया तत्काल बाजार दर पर अनाज खरीद कर अनाज उपलब्ध करायेंगे। वैसे व्यक्ति को एक बार चावल देने के बाद दोबारा भी चावल दे सकते हैं। किसी भी हाल में किसी की मौत भूख से नहीं होनी चाहिए। यह कोष की राशि वह राशि नहीं है, जो इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाएगी। मतलब 10000.00 रू0 का अनाज मुखिया जरूरतमंद को दे दिये, मुखिया के पास राशि खत्म हो गयी, तो प्रखण्ड कार्यालय या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना एवं खर्च की गई राशि का विवरण दें, उन्हें फिर से 10000.00 रू0 की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक इस राशि की व्यवस्था की गई है। मतलब राशि के अभाव में किसी को अनाज का संकट न हो, यह प्रावधान किया गया है, मुखिया की जानकारी में यह रहना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेवारी है। मुखिया चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यदि वे अपने कर्तव्य से विमुख हो गये, तो यह समाज बिखर जाएगा।
- अध्यक्ष द्वारा हजारीबाग जिला के मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि कई जिले में कार्यक्रम के दौरान कई सम्मानित मुखिया ने कहा कि उन्हें जो अधिकार मिला हुआ है, वो पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि जब राशन डीलर राशन बांटे, तो मुखिया की उपस्थिति में बांटे। राशन डीलर जो अनाज का उठाव करते हैं, तो कब उठाव हुआ, कितना लाये, सारी चीजों की जानकारी मुखिया को होनी चाहिए। इस पूरे प्रक्रिया की मुखिया सूत्राधार बने, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए एवं ऐसा राज्य सरकार से निर्देश निर्गत होना चाहिए। आयोग इस बात से सहमत है लेकिन सुझाव के बीच आपत्ति है कि जो अधिकार मुखिया को मिला हुआ है, क्या मुखिया ने उन

अधिकारों का इस्तेमाल किया ? मुखिया सतर्कता समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, क्या मुखिया ने सतर्कता समिति की बैठक बुलाई ? सतर्कता समिति ने मुखिया को जो अधिकार दिया है, क्या मुखिया ने उसका इस्तेमाल किया ? जो अधिकार मुखिया को मिले हुए हैं, पहले उसका इस्तेमाल करें एवं देखें कि इससे व्यवस्थाएँ कितनी सुधर सकती है।

- अध्यक्ष द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि सतर्कता समिति के मुखिया पदेन अध्यक्ष हैं। राशन डीलर भी हमारे समाज के ही लोग हैं। वे भी व्यवस्था के हिस्सा हैं, उनकी जो अपनी समस्याएँ हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, आयोग उनके प्रति भी सहानुभूति रखता है। उनकी जो तकलीफें हैं, उन्हें दूर करने के लिये आयोग सरकार से पत्राचार करेगा एवं सरकार को सुझाव देगा। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुखिया को डीलर कहते होंगे या लोग भी शिकायत करते होंगे कि डीलर कहता है कि उन्हें कमीशन पर्याप्त नहीं मिल रहा है एवं जो कमीशन मिल रहा है, उससे उनका पेट नहीं भर रहा है, इसलिये अनाज कम देंगे, यह अमूमन शिकायत आती है। अध्यक्ष द्वारा मुखिया से आग्रह किया गया कि जो डीलर ऐसा तर्क देता है उनसे यह पूछें कि डीलरशिप देने के लिये सरकार आपके पास गई थी या आप सरकार के पास गये थे। आप सरकार के पास गये थे, आपने आवेदन दिया, प्रक्रिया पूरी की, तो आपको डीलर बनाया गया। आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आप डीलरशिप छोड़ दें। डीलर द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि उन्हें पीछे से ही अनाज कम मिल रहा है, तो वे राशन नहीं काटेंगे तो कैसे देंगे। इस तर्क का जवाब यह है कि यदि उन्हें पीछे से अनाज कम दिया जा रहा है, तो क्या उन्होंने उस अधिकारी की शिकायत की ? कोई अधिकारी यदि पैसा मांग कर डीलर को अनाज कम दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने किसी से शिकायत की ? यदि वे शिकायत नहीं किये हैं, तो उस डीलर से मुखिया कहें कि वे आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर शिकायत करें। डीलर का नाम, पता, जानकारी गोपनीय रखते हुए उस अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि राज्य खाद्य आयोग को न तो कोई खरीद सकता है और न कोई मैनेज कर सकता है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यदि मुखिया किसी पक्षपातपूर्ण तरीके से किसी से बदले की भावना से शिकायत करेंगे, तो आयोग उन्हें सहयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन सच की लड़ाई में आयोग का सहयोग चाहते हैं, तो आयोग मुखिया के साथ खड़ा रहेगा। मुखिया आयोग के काम आए एवं आयोग मुखिया के काम आएगा। डीलर के तर्क को स्वीकार नहीं करना है, उन्हें प्यार से समझायें कि उन्हें लाभ नहीं हो रहा है, तो वे डीलरशिप छोड़ दें। डीलर को अनाज कम नहीं देना है, जितनी मात्रा निर्धारित है, उतना ही अनाज देना है।

- अध्यक्ष द्वारा हजारीबाग में मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि मुखिया संवाद के बाद अगली कड़ी में आयोग द्वारा डीलर से भी संवाद किया जाएगा। उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या परेशानी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। डीलर भी व्यवस्था के अंग हैं, उनकी परेशानी को दूर करना भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन जब तक वे इस व्यवसाय में हैं, तब तक उनको नियम–कायदे के अनुसार ही काम करना होगा, नहीं तो उनके विरूद्ध चाहे–अनचाहे कार्रवाई करनी होगी। उनके साथ पूरी सहानुभूति है, जो दिक्कत है, उनसे भी आयोग वाकिफ है, उनको दूर करने के लिये हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में आयोग जरूरी पहल कर रहा है। और भी मुखिया के सुझाव आयेंगे तो आयोग पहल करेगा एवं बेहतर तरीके से चीजों में सुधार करने की कोशिश की जाएगी।
- अध्यक्ष द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग राशन कार्ड बनाये हुए हैं, जो पेंशन भी ले रहे हैं, अच्छी खासी जमीन भी है, या कहें कि राशन कार्ड रद्द होने की जो पात्रता है, वो ये पूरी करते हैं, मतलब उनका राशन कार्ड सरेंडर हो जाना चाहिए। मुखिया को भी पता होगा कि उनके गांव में भी ऐसे लोग होंगे, जो सम्पन्न हैं, लेकिन राशन कार्ड रखते हुए राशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान सिर्फ मुखिया ही कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है कि वे हर व्यक्ति की जानकारी रखते हों। मुखियागण ऐसे लोगों को चिन्हित कर आयोग को या अधिकारियों को इस आशय की जानकारी दें कि ये–ये लोग सम्पन्न हैं या राशन कार्ड रखने की जो पात्रता है, उस परिधि में नहीं आते हैं। मुखियागण से ऐसा इसलिये कहा जा रहा है क्योंकि राशन पाने वाले या जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें राशन चाहिए, ऐसे लोग भी उनके पंचायत में अच्छी संख्या होगी। जो अधिकारी यह कह कर राशन कार्ड नहीं बना रहे कि अभी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी होगी, तो बनेगा। वैकेंसी कैसे बनेगा जब गैर जरूरतमंद लोग हटेंगे तो जरूरतमंद लोग आयेंगे। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि एक सुझाव बार–बार आता है, जिस पर आयोग गंभीरता से विभाग को पत्र लिखने का विचार कर रहा है एवं विभाग से बात भी किया जाएगा, कि कई जिलों से सुझाव आया कि " मान लें कि जिस पंचायत के मुखिया सम्पन्न लोगों का नाम कटवा दिये, तो यह प्रावधान होना चाहिए कि उसी पंचायत के ही लोगों का नाम जुड़े। यदि 25 लोगों का नाम सम्बन्धित पंचायत के मुखिया द्वारा हटवाया गया, तो उसी पंचायत के 25 लोगों का नाम जुड़ना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यह बिल्कुल उचित सुझाव है, आयोग इससे सहमत है एवं आयोग दिशा में पत्राचार करेगा। लेकिन पहले ऐसे लोगों को चिन्हित कर विभाग को अवगत कराना होगा कि ऐसे लोगों का नाम काट दिया जाए। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अभी के प्रावधान के अनुसार आपके पंचायत के लोगों का नाम नहीं जुड़ पाया तो जिस भी

पंचायत के लोगों का नाम जुड़ेगा, वो जरूरतमंद लोगों का ही जुड़ेगा। अभी हो सकता है कि आपके पंचायत के नहीं हो, लेकिन आपके ही राज्य के हैं। आप ही के राज्य के किसी जिले के पंचायत के लोग जुड़ेंगे। इसलिये मुखिया यदि यह भाव रखेंगे कि कि यदि वे किसी का नाम कटवायेंगे, तो वो दुश्मन हो जाएगा, वोट खराब होगा, हमें क्या जरूरत है किसी से दुश्मनी मोल लेने का, यह भाव रखेंगे तो समाज नहीं सुधरेगा। समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको उनका हक नहीं मिलेगा। आयोग यह समझता है कि हर व्यक्ति में संवेदनशीलता होती है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उनके अगल–बगल में, उनके पंचायत में, उनके राज्य में, उनके जिले में कोई भी व्यक्ति भूख से मर जाए। क्योंकि यदि भूख से कोई मरता है, तो वो व्यक्ति नहीं मरता है, बल्कि इस राज्य, जिले, पंचायत के हर व्यक्ति का मानवता मरता है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आयोग ने तय किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने में जिले के 03 मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जो जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आयेंगे, उन्हें 09 दिसम्बर को आयोग राँची में सम्मानित करेगा। चयन की प्रक्रिया का मापदण्ड क्या होगा, वो सब निर्धारित कर लिया गया है, उन सबकी जानकारी मुखिया को जिला एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दे दी जाएगी। इसमें मुखिया बेहतर कार्य करेंगे, तो आयोग उनकी प्रशंसा भी करेगा, पुरस्कृत भी करेगा एवं इतना ही नहीं, जो जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय होंगे, वहाँ पर आयोग की टीम जाएगी। मुखिया की प्रोफाइलिंग करेगी, वीडियो बनाएगी, मुखिया के बारे में अखबारों एवं टी0वी0 चैनलों के माध्यम से प्रसारित कराया जाएगा कि यह एक अनुकरणीय मुखिया हैं, उन्होंने यह–यह काम किया है, इनके कार्यों का अनुसरण और लोगों को करना चाहिए, ताकि मुखिया को भी ख्याति मिले एवं लोगों को अधिकार मिले।

इसके साथ रामगढ़ एवं हजारीबाग भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Ramgarh & Hazaribagh\Visit report of Ramgarh & Hazaribagh.docx29